कार्यालय उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, जमुई

विज्ञापन

बिहार सरकार

विभागीय मार्गदर्शिका–1863, दिनांक–28.12.2018 के आलोक में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय फुटबॉल(बालक) खेल प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीकृश्ण सिंह स्टेडियम, जमुई हेतु एक फुटबॉल(बालक) प्रशिक्षक/ट्रेनर संविदा पर नियुक्त किया जाना है। फुटबॉल प्रशिक्षक, हेतु निम्नांकित पात्रता एवं मानदेय के अन्तर्गत विहित प्रपत्र में **दिनांक–22.12.2023** तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. परियोजना अवधि के लिए वैसे प्रशिक्षक/ट्रेनर की मानदेय के आधार पर सेवायें प्राप्त किये जायेंगे, जो पूर्व से प्रशिक्षण कार्य कर रहे हों, जिसके द्वारा खेलों में खिलाड़ी एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र उपलब्धि/अनुभव प्राप्त हो। दो प्रशिक्षकों के एक समान योग्यता होने पर पूर्व से प्रशिक्षण दे रहे प्रशिक्षक को उनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी के द्वारा प्राप्त ऊँची उपलब्धि के आधार पर संबंधित प्रशिक्षक को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी।
2. एन0आई0एस0, डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग प्रशिक्षक, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक के रूप में आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग के साथ ही आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया हो को प्रतिमाह रू0 30,000/–(तीस हजार रू0) मात्र मानदेय देय होगा।
3. एन0आई0एस0, डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग प्रमाण पत्र प्राप्त प्रशिक्षक, राष्ट्रीय प्रतियोगिता/ऑल इंडिया युनिवर्सिटी प्रतियोगिता में खिलाड़ी के रूप में प्रतिभागिता करने वाले प्रशिक्षक को रू0 25,000/–(पच्चीस हजार रू0) मात्र मानदेय देय होगा।स्थानीय प्रशिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी वशर्तें की वांछित अर्हता पूरी करते हैं।
4. गैर एन0आई0एस0 प्रशिक्षक/ट्रेनर का जिन्होंने आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो एवं साथ ही उनके द्वारा स्थानीय स्तर से विगत पाँच वर्षों में ऐसे खिलाड़ी प्रशिक्षित किये हो, जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। उन्हें इस श्रेणी में रू0 20,000/–(बीस हजार रू0) मात्र मानदेय दिया जाएगा।
5. राष्ट्रीय प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियेगिता में प्रतिभागिता खिलाड़ी श्रेणी के प्रशिक्षक/ट्रेनर जिन्होंने स्थानीय स्तर पर विगत पाँच वर्षों में ऐसे खिलाड़ी प्रशिक्षित किये हो, जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, को रू0 15,000/–(पन्द्रह हजार रू0) मात्र प्रतिमाह मानदेय देय होगा। इस श्रेणी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल में प्रतिभागिता के साथ संबंधित खेल में छः सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले प्रशिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. प्रशिक्षक/ट्रेनर की सेवायें योगदान की तिथि से अधिकतम 11 माह के लिए ली जायेंगी एवं प्रशिक्षु के प्रर्दशन के आधार पर आवश्यकतानुसार इनकी सेवा अवधि का प्रत्येक वर्ष विस्तार किया जा सकेगा। इसके लिए उनके द्वारा सरकारी नौकरी का दावा मान्य नहीं होगा। असंजोषजनक सेवा अथवा परियोजना के बन्द होने की स्थिति में बिना कारण बताये किसी भी दिन सेवा लेना बन्द कर दिया जाएगा। प्रशिक्षक के उच्च स्तरीय कार्य के बदौलत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पदक प्रशिक्षुओं के द्वारा प्राप्त होने पर विशेष रिवार्ड के (विभाग द्वारा तय किया जाएगा) एवं अगले वर्ष देय मानदेय का 30 प्रतिशत वृद्धि राशि भी अतिरिक्त दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त होने पर देय मानदेय में 15 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी (यह सुविधा पदक प्राप्त होने के माह से अगले वर्ष हेतु अवधि विस्तार होने तक लागू रहेंगी)।
7. प्रशिक्षक, का आवासन प्रशिक्षुओं के साथ में होगा। प्रशिक्षक को प्रशिक्षण केन्द्र, में आवासन एवं भोजन की सुविधा दी जाएगी।
8. गलत सूचना के आधार पर यदि कोई व्यक्ति (प्रशिक्षक) चयन में सफल हो जाता हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन कार्यालय उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, जमुई श्रीकृष्ण सिंह स्टेडियम, जमुई, पिन कोड–811307के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किया जायेगा। विशेष जानकारी हेतु श्री शिवपूजन शर्मा, शारीरिक शिक्षकके **मोबाईल नं0–9199599696** पर संपर्क किया जा सकता है।

उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा
जमुई

PR- 013000(Art & Culture) 2023-24

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।